राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–152/2015/अलवर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, भिवाड़ी, अलवर .....**अपीलार्थी.**

बनाम्

मैसर्स एस.एन.आई. इन्फॉट्रेक प्रा.लि. खुशखेड़ा, भिवाड़ी, अलवर .....**प्रत्यर्थी.**

एकलपीठ

राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के. अजमेरा

उप–राजकीय अभिभाषक। .....**अपीलार्थी की ओर से.**

अनुपस्थित (एकपक्षीय बहस सुनी गई) .....**प्रत्यर्थी की ओर से.**

दिनांक : 17.05.2017

निर्णय

1. उक्त अपील राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, अलवर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा गया है) के द्वारा अपील सं. 93/आरवैट/2013–14/उपा./अपील्स/अलवर में पारित किये गये आदेश दिनांक 08.07.2014 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 83 के तहत् प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलीर्थी सहायक वाणिज्यिक अधिकरी, घट–प्रथम, प्रतिकरापंवचन, भिवाड़ी (जिसे आगे **"सक्षम अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा दिनांक 30.08.2013 को वाहन संख्या HR 55 H-3294 को खुशखेड़ा में रोक कर जांच करने पर वाहन में माल **"स्टील ट्यूब एण्ड पाईप"** साहिबाबाद, उत्तर प्रदेश से खुशखेड़ा, राजस्थान के लिये परिवाहनित किया जा रहा था। परिवाहनित माल के संबंध में दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक द्वारा समस्त दस्तावेज पेश किये गये। पेश किये गये दस्तोवजों में वेट–47 नहीं पाया गया। चुंकि परिवाहनित माल अधिसूचित वस्तु था, जिसके परिवाहन के साथ वेट–47 होना आवश्यक है। सक्षम अधिकारी द्वारा इसे अधिनियम की धारा 76(2)(B) सपठित नियम 53 का उल्लघंन माना तथा अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत प्रत्यर्थी को कारणबताओं नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी फर्म के निर्देशक द्वारा उपस्थिति होकर जवाब पेश किया गया। समक्ष अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी के जवाब को असन्तोषजनक मानते हुए अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् कर व शास्ति कुल राशि रूपये 80,085/– आरोपित की गयी। कर निर्धारण अधिकारी के इस आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 08.04.2014 से अपील स्वीकार करके समक्ष अधिकारी द्वारा पारित शास्ति के आदेश अपास्त कर दिया गया। समक्ष अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. प्रत्यर्थी के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर प्रकरण के गुणावगुण पर उपस्थित राजस्व के उप राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

लगातार.....2

17/05/17

4. बहस के दौरान विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश का विरोध करते हुए यह कथन किया गया कि परिवाहनित माल अधिसूचित वस्तु की श्रेणी का होने से उक्त माल के साथ प्रपत्र वेट–47 का होना आवश्यक है परन्तु वक्त जांच माल के साथ वेट–47 नहीं पाया गया। इसी कारण समक्ष अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् कर व शास्ति का अरोपण किया गया, जो कि पुर्नतया विधिक एवं न्यायोचित था। अपीलीय अधिकारी द्वारा तथ्यों की गलत विवेचना करते हुए अपीलीय आदेश पारित किया है जो अविधिक होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपने इस कथन के साथ राजस्व के उप राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

5. बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

6. रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वक्त जांच परिवाहनित माल के साथ इन्वॉइस, जीआर व घोषण प्रपत्र वेट–49 संलग्न था। सक्षम अधिकारी द्वारा परिवाहनित माल के साथ वेट–47 नहीं होने पर कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। जिसकी पालना में व्यवसायिक फर्म के निर्देशक श्री विनोद धोल्या द्वारा लिखित जवाब पेश करते हुए पुर्णरूप से भरा हुआ वेट–47 पेश किया गया तथा निवेदन किया गया कि लिपिकिय भूल वर्ष परिवाहनित माल के साथ वेट–47 के स्थान पर वेट–49 संलग्न कर दिया गया था तथा उनका इसके पीछे करापवंचन करने का कोई दोषी मनोभाव नहीं था।

7. पत्रावली के साथ उपलब्ध वेट–49 का अवलोकन भी किया गया। वेट–49 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यह पुर्णरूप से भरा हुआ था तथा इसके समस्त कॉलम में अंकित विवरण भी परिवाहनित माल के बिल–बिल्टी के अनुसार ही पाये गये। इससे यह स्पष्ट होता है कि परिवाहनित माल के साथ पाया गया वेट–49 सहवन से संलग्न कर दिया गया था। जिसमें प्रत्यर्थी का कोई दोषी मनोभाव प्रकट नहीं होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी द्वारा जवाब के साथ वेट–47 पेश कर दिया गया था जो की पुर्णतया भरा हुआ था। इन सभी तथ्यों के मध्यनजर अपीलीय अधिकारी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **मैसर्स डी. पी. मैटल्स** के अवलोक में अपील स्वीकार की गयी। जिसमें किसी भी प्रकार की कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की गयी है।

8. परिणामस्वरूप अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 08.07.2014 तथ्यों एवं विधिक दृष्टि से उचित होने से इसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। अतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।

17/05/17

(राजीव चौधरी)
सदस्य